

भारत सरकार
कार्यालय आयकर आयुक्त, मुजफ्फरपुर ।

दस्त/संस्था का नाम सखी,
पता मत्स्य नगर, भगवतीपुर, पोस्ट : रुद्रपुर,
जिला : मधुबनी ।

आदेश की तारीख

27/07/06

धारा 80G(5) के अन्तर्गत आदेश

सखी, मत्स्य नगर, भगवतीपुर, पोस्ट : रुद्रपुर, जिला : मधुबनी को दिये गये दान पर छूट आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी के अन्तर्गत दानकर्ता को उपलब्ध होगी जो विहित सीमा तथा शर्तों के अधीन होगी ।

यह छूट दिनांक 01.04.2006 से 31.03.2007 तक मान्य होगी ।

(एस. के. सेन)

नोट :-

- 1 दानकर्ता को जारी किये गये रसीद में इस आदेश की संख्या एवं तारीख वर्णित करना आवश्यक है ।
- 2 आय एवं व्यय के लेखा की विवरणी वार्षिक रूप से क्षेत्रीय आयकर अधिकारी के पास प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।
- 3 यदि संविधान में किसी प्रकार का संशोधन किया गया हो तो इसकी सूचना संकल्प की एक प्रति/न्यास के संशोधित कामजात के साथ इस कार्यालय को शीघ्र दी जानी चाहिये ।
- 4 यदि पुनः नवीकरण अपेक्षित हो तो आय व्यय विवरणी के साथ इस कार्यालय में आवेदन दिया जाये ।

ज्ञापन सं० आ०आ०/मुज०/तक०/80जी(5)/2006-07/1476-77
दिनांक, मुजफ्फरपुर, 28/7/06

प्रतिलिपि प्रेषित :

- 1 आवेदक ।
- 2 आयकर अधिकारी - मधुबनी ।

अनुरोध है कि दस्त/संस्था द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरण की जाच कर स्वयं को संतुष्ट कर लें कि यह दस्त/संस्था धारा 80जी(5) में निहित शर्तों को तथा इस विषय पर समय-समय पर जारी निर्देशों को पूरा करती है। छूट के नवीकरण हेतु प्राप्त नाद के आवेदन की प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने प्रतिवेदन को अपर आयकर आयुक्त के माध्यम से भेजें ।

(बिरेन्द्र कुमार सिन्हा)

आयकर अधिकारी (तक०),

मुक्त - आयकर आयुक्त, मुजफ्फरपुर ।

भारत सरकार
कार्यालय आयकर आयुक्त,
बेला कोठी, बेला औद्योगिक क्षेत्र, मुजफ्फरपुर ।
फोन-(0621) 2278505/फैक्स-2278509

दस्तावेज/संख्या का नाम श्री. मन्मथनाथ, मन्मथोड़ा, पो. सुपुडी, गा. अ. क. दादागंज
पता श्री. मन्मथनाथ, मन्मथोड़ा, पो. सुपुडी, गा. अ. क. दादागंज
आदेश की तारीख 12-01-2009

धारा 80 जी(5) के अन्तर्गत आदेश

श्री. मन्मथनाथ, मन्मथोड़ा, पो. सुपुडी, गा. अ. क. दादागंज को दिये गये दान पर
छूट आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी (5) के अन्तर्गत
दानकर्ता को उपलब्ध होगी जो विहित सीमा तथा भातों के अधीन होगी।

31-03-2011 तक यह छूट दिनांक 18-07-2008 से
तक मान्य होगी।

(उज्ज्वल चौधरी)

आयकर आयुक्त, मुजफ्फरपुर ।

नोट -

1. दस्तावेजों को जारी करने वाले रसीद में इस आदेश की संख्या एवं तारीख
संश्लेषित करना आवश्यक है।
2. आय एवं व्यय के लेखा की विवरणी वार्षिक रूप से क्षेत्रीय आयकर अधिकारी
के पास प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
3. यदि संविधान में किसी प्रकार का संशोधन किया गया हो तो इसकी सूचना
संकेत की एक प्रति/व्यास के संशोधित कागजात के साथ इस कार्यालय को शीघ्र
दी जानी चाहिये।
4. यदि पुनः नवीकरण अपेक्षित हो तो आय व्यय विवरणी के साथ इस कार्यालय
में अभिप्रेत किया जाये।

ज्ञापन संख्या आ०आ०/मुज०/मुख्या०/80जी/2008-09/4584-86

दिनांक, 12-01-2009

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. अ० आयकर आयुक्त, परिचर-3, 6 मंजरा
2. उप आयकर आयुक्त, कचहल, 6 मंजरा
3. आवेदक।

अनुरोध है कि दस्तावेज द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरण की जाँच कर स्वयं को
संतुष्ट कर लें कि यह दस्तावेज धारा 80 जी (5) में विहित शर्तों को तथा इस
विषय पर समय-समय पर जारी निर्देशों को पूरा करती है। छूट के नवीकरण हेतु
प्राप्त यह के दस्तावेज की प्रतियाँ को 15 दिनों के अन्दर अपने प्रतिवेदन के अथवा
आयकर आयुक्त के माध्यम से भर्जें।



(सी० के० सिन्हा)

आयकर अधिकारी, मु०(प्र०)

फैक्स : आयकर आयुक्त, मुजफ्फरपुर ।